न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 07/2021 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री ज्ञानसिंह गुर्जर पुत्र श्री किशनलाल गुर्जर
   एफबीओ मैसर्सः— महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, कोड नं. 1341, पांचौली तहसील सिकराय जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 27.04.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28.10.2020 को दोपहर बाद 01:45 बजे मैसर्सः— महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कोड नं. 1341, पांचौली तहसील सिकराय जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय डेयरी पर विक्रेता श्री ज्ञानसिंह गुर्जर पुत्र श्री किशनलाल गुर्जर उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने एक कोल्ड स्टोर(बीएमसी) में करीबन 1800 लीटर दुध था। जिसे विक्रेता ने मिश्रित दूध एवं सरस डेयरी जयपुर को विक्रय करना बताया। उक्त मिश्रित दूध में मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जॉच हेतु 2 लीटर मिश्रित दूध खरीदा। जिसे विक्रेता ने एक साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बाल्टी में तौलकर(नापकर) दिया। जिसकी कीमत 100 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 लीटर मिश्रित दूध को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलों में डालकर प्रत्येक बोतल में 40—40 बूंद फार्मलीन की डालकर बोतल को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर मौकाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.– 2465 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 29.10.2020 को खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 29.10.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 29.10.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध के नमूने की खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./683/एक्ट/2020/755 दिनांक 5.11.2020 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./683/एक्ट/2020/755 दिनांक 5.11.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध के नमूने मे **Milk fat** की मात्रा 3.20 प्रतिशत ही पाया गया है, जो कि कम से कम 4.50 प्रतिशत होना चाहिए था। **Milk fat** की मात्रा तय मानको से कम पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(**II**) का उल्लंघन किया है एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का विक्रय किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि हमारे यहां दुग्ध में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की जाती है। प्रार्थी के यहां से लिया गया नमूना जांच रिपोर्ट में अमानक स्तर का पाया गया है, मेरे द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न पशुपालको से दूध क्रय कर विक्रय किया जाता है, मेरे द्वारा क्रीम नहीं निकाली जाती है, जैसा दूध आता है वैसा ही विक्रय करता हूँ। विभिन्न पशुपालको से लिये गये दूग्ध में फेट की मात्रा भिन्न–भिन्न होने के कारण मिश्रित दूध में फेट की मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है। इस कारण उक्त मिश्रित दूध के नमूने में फेट की मात्रा कम पाई गई है। मेरा इसमे कोई दोष नहीं है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा कम से कम जुर्माना लगाये जाने का निवेदन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./683/एक्ट/2020/755 दिनांक 5.11.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त ज्ञानसिंह गुर्जर पुत्र श्री किशनलाल गुर्जर एफबीओ मैसर्सः–महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, कोड नं. 1341, पांचौली तहसील सिकराय जिला दौसा पर 10000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 27.04.2022 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक /   दिनांकः–   .2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री ज्ञानसिंह गुर्जर पुत्र श्री किशनलाल गुर्जर एफबीओ मैसर्सः–महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, कोड नं. 1341, पांचौली तहसील सिकराय जिला दौसा।

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा